



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय राजकोट
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA RAJKOT



Date: 17.06.2026

प्रवेश सूचना - 2026-27

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय राजकोट में विभिन्न कक्षाओं में रिक्त सीटों का विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र सं	कक्षा	रिक्त सीटें
1	IX	05

(Note: Vacancy is Tentative may Vary)

कक्षा IX में प्रवेश चाहने वाले अभिभावक विद्यालय वेब साईट (<https://rajkot.kvs.ac.in/>) से पंजीकरण प्रपत्र डाउन लोड करें अथवा विद्यालय के प्रवेश विभाग से प्राप्त करें। अभिभावक के. वि. सं. की समय सारणी अनुसार

कक्षा -IX (Only) 17th June 2026 से 22nd June 2026 (02.00PM बजे तक)

पूर्ण रूप से प्रतिपूरित पंजीकरण प्रपत्र, निम्न लिखित दस्तावेजों के 01 सेट के साथ विद्यालय में 17th June 2026 से 22nd June 2026 (9:00am से 02:00pm) तक जमा करें। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश परीक्षा : 24.06.2026 प्रातः :09:00 बजे

दस्तावेजों की सूची / List of documents:

1. पंजीकरण फॉर्म / Registration Form (Print out)
2. अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र / Date of Birth Certificate from competent authority
3. पिछले वर्ष/कक्षा की अंक तालिका - Mark sheet of last year/Class
4. स्थानीय निवास प्रमाण / Local Residence proof: Electricity Bill/ Ration Card / Rent Agreement etc.
5. माता और पिता का फोटो परिचय पत्र प्रति /Photo ID Proof of Father and Mother copy
6. विद्यार्थी के आधार की प्रति/ Student's Aadhar Card copy
7. विद्यार्थी का जाति प्रमाण-पत्र/ Copy of Caste Certificate in the name of child (यदि लागू हैं)
8. अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी सेवा एवं स्थानांतरण संख्या सम्बन्धी प्रमाणपत्र (I से IV श्रेणी के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए) / Service Certificate & Transfer Count Certificate of parents (under category I to IV of Central Govt. & State Govt. Employees) on letter head with round seal of Department and full name & Signature of competent authority.
9. सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति प्रमाणपत्र /Certificate of Retirement of Retired Defense Employee along with copy of Discharge Book with necessary entries
10. विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र Vidyalaya Transfer certificate (प्रवेश सुनिश्चित होने के बाद / After Confirmation of admission)

गलत/ अथूरे आवेदन को तुरन्त रद्द किया जायेगा तथा गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छुपाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

PRINCIPAL